

# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/ 5862  
दिनांक: 06-12-23

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बाबा रामचीज महिला महाविद्यालय,  
ताजपुर डेहमा, गाजीपुर।

**विषय:**—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक—09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 एवं 04 दिसम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० विनोद कुमार सिंह	श्री राजदेव सिंह	01.05.1981	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या—669858735865

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/4473  
दिनांक: 30.6.23

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बाबा रामचीज महिला महाविद्यालय,  
ताजपुर, डेहमा, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 25.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ताओं के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एच०डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ० रिशी यादव आधार संख्या-609044907208	श्री राजेश्वर यादव	28.03.1995	एम०ए०, पी-एच०डी०	हिन्दी
2	डॉ० रंजना यादव आधार संख्या-658940445313	श्री विजय बहादुर यादव	25.07.1991	एम०ए०, पी-एच०डी०	संस्कृत
3	डॉ० विनम्र कुमार यादव आधार संख्या-579001543857	श्री राघवेन्द्र यादव	10.07.1990	एम०ए०, पी-एच०डी०	भूगोल
4	डॉ० सतीश कुमार आधार संख्या-461595487913	श्री सुभाष चन्द्र यादव	04.07.1991	एम०ए०, पी-एच०डी०	समाजशास्त्र
5	श्री तौहीद आलम आधार संख्या-677872073454	श्री अली उल्लाह	05.08.1975	एम०ए०, नेट	उर्दू
6	डॉ० शुभकरन सिंह यादव आधार संख्या-958906104125	श्री इन्द्रजीत यादव	01.07.1985	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचीन इतिहास
7	डॉ० ज्ञान्ती यादव आधार संख्या-880668320219	श्री रामाश्रय यादव	05.07.1990	एम०ए०, पी-एच०डी०	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट प्रमाणपत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

30/6/23